



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276478
CG-DL-E-24092026-276478

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5045]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5045]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2026

सं. 79/ 2026-सीमा शुल्क (गै.टै.)

का.आ. 5252(अ).— सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1), के साथ पठित धारा 3, और धारा 5 की उपधारा (1) और (1ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड, एतद्वारा, निम्न दी गई सारणी के कॉलम 4 में उल्लेखित अधिकारी को कॉलम 3 में उल्लेखित अधिकारियों कि शक्तियों और कर्तव्यों के निर्वहन के दायित्व को सारणी के कॉलम 1 में उल्लेखित नोटिसी के संदर्भ में, कॉलम 2 में उल्लेखित कारण बताओ नोटिसो के न्यायनिर्णयन उद्देश्य हेतु नियुक्त करता है, यथा:-

सारणी

नोटिसी का नाम और पता (मैसर्स)	कारण बताओ नोटिस संख्या और दिनांक	न्यायनिर्णयन प्राधिकरण का नाम	नियुक्त की गयी साधारण न्यायनिर्णयन प्राधिकरण।
(1)	(2)	(3)	(4)
आर एंड एम इंडिया प्रा. लिमिटेड, (आईईसी 0710003323), प्लॉट नंबर 65, हाई-टेक एयरोस्पेस एंड डिफेंस पार्क, अरेबिन्नमंगला गांव, जाला होबली, बेंगलुरु, बेंगलुरु शहरी, कर्नाटक, 562149	1090/2024-25 दिनांक 12.03.2025	उपायुक्त, सीमा शुल्क, हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स, बेंगलुरु	प्रधान आयुक्त/सीमा-शुल्क आयुक्त, हवाई अड्डा और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स आयुक्तालय, बेंगलुरु
	705/2025 दिनांक 22.08.2025	सहायक आयुक्त (सीमा शुल्क), ICD, सिटी कस्टम्स, बेंगलुरु	

[फा. सं. 466/29/2026-Cus.V]

इंद्रजीत पांडा, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(THE CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2026

No. 79/2026-Customs (N.T.)

S.O. 5252(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4, read with section 3 and sub sections (1) and (1A) of section 5 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Indirect Taxes and Customs, hereby appoints officer mentioned in column (4) of the Table below to exercise the powers and discharge duties conferred or imposed on officers mentioned in column (3) of the said Table in respect of Noticee mentioned in column (1) of the Table, for purpose of adjudication of show cause notices mentioned in column (2) therein, namely:-

Table

Name of the Noticee(s) and Address (M/s.)	Show Cause Notice Number & Date	Details of Adjudicating Authorities	Common Adjudicating Authority appointed
(1)	(2)	(3)	(4)
R&M India Pvt. Ltd., Bengaluru (IEC 0710003323), Plot No. 65, Hi-Tech Aerospace & Defense Park, Arebinnamangala Village, Jala Hobli, Bengaluru Urban, Karnataka, 562149	1090/2024-25 dated 12.03.2025	The Deputy Commissioner of Customs, Airport & Air Cargo Complex, Bengaluru	The Principal Commissioner/Commissioner of Customs, Airport & Air Cargo Commissionerate, Bengaluru
	705/2025 dated 22.08.2025	The Assistant Commissioner of Customs, ICD, City Customs, Bengaluru	

[F. No. 466/29/2026-Cus.V]

INDRAJIT PANDA, Under Secy.